संख्या-36/2023/1850/77-6-2023-6099(099)/2/2022(पार्ट-1)

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 14 जून, 2023**

विषय- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012(मेगा परियोजना) के कार्यान्वयन हेतु रू.100,86,68,817.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्धक (कम्प्यूटर), पिकप के पत्रांक-पिकप/आई.आई.आई.पी.-2012/मेगा/450 दिनांक 16.05.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-2885-उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012(मेगा परियोजना) में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 करोड़ के सापेक्ष पात्र औद्योगिक इकाईयों हेतु रू0 100,86,68,817.00 (रूपये सौ करोड़ छियासी लाख अड़सठ हजार आठ सौ सत्तरह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। पिकप द्वारा उपलब्ध कराया गया लाभार्थी इकाईयों का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रू0 में)

क्र. सं.	कम्पनी	अनुमोदित अनुमन्य धनराशि	शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के अनुपालन में देय धनराशि (अनुमन्यधनराशि का 90 प्रतिशत)	नोडल एजेन्सी (पिकप) को देय प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि (देय धनराशि का 1 प्रतिशत)	इकाईयों को वितरित की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	मेसर्स पसवारा पेपर्स लि0, मेरठ	12,65,90,306.00	11,39,31,275.00	11,39,313.00	11,27,91,962.00
2.	मेसर्स वरूण बेवरेजेस लि0, सण्डीला, हरदोई	8,52,80,981.00	7,67,52,883.00	7,67,529.00	7,59,85,354.00
3.	मेसर्स गैलेन्ट इस्पात लि0, गोरखपुर	15,96,75,723.00	14,37,08,151.00	14,37,081.00	14,22,71,070.00
4.	मेसर्स स्पर्श इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, कानपुर देहात	3,66,53,000.00	3,66,53,000.00[++]	3,66,530.00	3,62,86,470.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5.	मेसर्स आर0सी0सी0पी0 एल0 प्रा0लि0, रायबरेली	46,55,79,562.00	41,90,21,606.00	41,90,216.00	41,48,31,390.00
6.	मेसर्स श्री सीमेंट लि0, बुलन्दशहर	24,28,91,002.00	21,86,01,902.00	21,86,019.00	21,64,15,883.00
	कुल योग	**111,66,70,574.00**	**100,86,68,817.00**	**1,00,86,688.00**	**99,85,82,129.00**
	कुल धनराशि (5+6)				**100,86,68,817.00 (रूपये सौ करोड़ छियासी लाख अड़सठ हजार आठ सौ सत्तरह मात्र)**

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्ष 2885-उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 करोड़ (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू0 100,86,68,817.00(रूपये सौ करोड़ छियासी लाख अड़सठ हजार आठ सौ सत्तरह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि पिकप द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी कम्पनियों एवं पिकप के खाते में सीधे एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
2. तालिका के स्तम्भ-6 में दर्शाई गई धनराशि उक्त लाभार्थी कंपनियों के बैंक खातों में तथा उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में दर्शाई गई धनराशि कुल योग रू0 1,00,86,688.00 (रूपये एक करोड़ छियासी हजार छः सौ अट्ठासी मात्र) पिकप के खाते में प्रशासनिक व्यय के रूप में अन्तरित की जाएगी।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
4. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
5. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
7. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

8. धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से सम्बन्धित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराए जायेंगे।
9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप, द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से समस्त संबंधितो को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
10. धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 100,86,68,817.00 (रूपये सौ करोड़ छियासी लाख अड़सठ हजार आठ सौ सत्तरह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक 2885608001900 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-6-20-X-2023-24 दिनांक 14.06.2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार मौर्य
उप सचिव।

संख्या-36/2023/1850(1)/77-6-2023-6099(099)/2/2022(पार्ट-1)तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर।
5. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0शासन।
6. प्रबन्धक (कम्प्यूटर), पिकप को उनके पत्रांक-पिकप/आई.आई.आई.पी.-2012/मेगा/450 दिनांक 16.05.2023 के संदर्भ में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1/4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in